रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 194] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 3, 2010/श्रावण 12, 1932
No. 194] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 3, 2010/SHRAVANA 12, 1932

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 28 जुलाई, 2010

सं. टीएएमपी/12/2008-केओपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा, संलग्न आदेशानुसार, कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस)/अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) प्रचालनों से पत्तन प्रभारों का भुगतान स्वीकार करने के लिए कोलकाता पत्तन न्यास से उसके दरमान में संशोधन करने के लिए प्राप्त प्रस्ताव का निपटान करता है ।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/12/2008-केओपीटी

कोलकाता पत्तन न्यास — **आवेदक**

आदेश

(जुलाई, 2010 के 9वें दिन पारित)

यह मामला कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस)/अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) प्रचालनों से पत्तन प्रभारों का भुगतान स्वीकार करने के लिए कोलकाता पत्तन न्यास से उसके दरमान के संशोधन के लिए प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2. केओपीटी के मौजूदा दरमान का खंड 3 (v) जोकि कंटेनरों के संबंध में पत्तन प्रभारों के भुगतान के लिए उपयोक्ता समूह विनिर्दिष्ट करता है जोकि निम्नवत् है:–

"एफसीएल कंटेनर के मामले में, आईसीडी/सीमाशुल्क अधिसूचित सीएफएस से/को कंटेनरों के अलावा, ऑन–बोर्ड (उपस्कर के उपयोग के लिए भी, यदि कोई हो) सहित कंटेनर और कंटेनरबद्ध कार्गो से संबंधित प्रभार, तट प्रहस्तन और उसपर भंडारण प्रभार कार्गो के स्वामी अथवा उसके क्लियरिंग और परेषण एजेंट/हैंडलिंग एजेंट पर प्रभार्य होगा। तथापि, यदि कंटेनर एजेंट्स/एमएलओ कंटेनर की सुपुर्दगी व्यवस्थित करने के लिए आयातक/निर्यातक के अभाव में एफसीएल कंटेनरों को खाली करने के लिए आवेदन करता है तो पत्तन ऐसे प्रभार कंटेनर एजेंटों/मेन लाइन ऑपरेटरों (एमएलओ) से वसूल कर सकता है।

एलसीएल कंटेनरों के मामले में, खाली कंटेनर और आईसीडी/सीमाशुल्क अधिसूचित सीएफएस से/को कंटेनर, ऑन–बोर्ड (उपस्कर के उपयोग के लिए भी, यदि कोई हो) सहित कंटेनर और कंटेनरबद्ध कार्गो से संबंधित प्रभार, तट प्रहस्तन और उसपर भंडारण प्रभार कंटेनर एजेंटों/एमएलओ पर प्रभार्य होंगे।

तथापि, खाली करने के बाद अथवा भरण से पहले, कार्गो संबंधित प्रभार, यदि कोई हों, कार्गो के स्वामी अथवा उसके क्लियरिंग और परेषण एजेंट/हैंडलिंग एजेंट पर प्रभार्य होंगे।"

2.2. मै0 ए0एल0 लोजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड (एएलएलपीएल) और केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) ने इस प्राधिकरण को अलग–अलग अभ्यावेदन किया है कि दरमान का खंड 3 (v) इसके ग्राहकों की ओर से प्रभार अदा करने के लिए सीएफएस प्रचालकों के लिए गुंजाइश उपलब्ध नहीं करवाता है। उन्होंने सीएफएस को शामिल किए जाने पर विचार करने का अनुरोध किया था क्योंकि उसके कानूनी स्वामियों से केओपीटी के दरमान के खंड 3 (v) में संशोधन करते हुए सीएफएस की ओर जाने वाले/आने वाले कंटेनरों के लिए पत्तन प्रभार वसूल किए जा सकते हैं।

2.3. एएलएलपीएल और सीडब्ल्यूसी के अभ्यावेदन की एक–एक प्रति केओपीटी को उसकी टिप्पणियों के लिए अग्रेषित की गई थी। अनुस्मारक के पश्चात, केओपीटी ने अपने पत्र दिनांक 13 फरवरी 2008 द्वारा निम्नलिखित निवेदन किए हैं:–

(i). एएलएलपीएल और सीडब्ल्यूसी द्वारा उठाए गए मुद्दों की जाँच की गई है और सीएफएस प्रचालकों के रूप में पत्तन प्रभारों के भुगतान की अनुमति देने के लिए उनके अनुरोध पर विचार किया गया है।

(ii). एएलएलपीएल और सीडब्ल्यूसी को सीएफएस प्रचालकों के रूप में पत्तन प्रभारों के भुगतान के लिए केओपीटी के पास जमा खाता खोलने की अनुमति दी गई है।

(iii). केओपीटी ने निर्णय दिया है कि यही सुविधाएं सुगम वाणिज्यिक प्रचालन के लिए आईसीडी प्रचालकों को दी जानी चाहिएं।

(iv). प्राधिकरण से अनुरोध है कि इस मामले पर विचार किया जाए और केओपीटी के दरमान के खंड 3 (v) के यथा निम्नवत् पैरा–2 के संशोधन की व्यवस्था की जाए:–

"एलसीएल कंटेनरों के मामले में, खाली कंटेनर और आईसीडी/सीमाशुल्क अधिसूचित सीएफएस से/को कंटेनर, ऑन–बोर्ड (उपस्कर के उपयोग के लिए भी, यदि कोई हो) सहित कंटेनर और कंटेनरबद्ध कार्गो से संबंधित प्रभार, तट प्रहस्तन और उसपर भंडारण प्रभार कंटेनर एजेंटों/मेन लाइन ऑपरेटरों (एमएलओ) पर प्रभार्य होंगे। तथापि, आईसीडी/सीमाशुल्क अधिसूचित सीएफएस से/को कंटेनर के मामले में, संबद्ध सीएफएस/आईसीडी प्रचालक भी पत्तन प्रभार अदा कर सकते हैं।"

3. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, केओपीटी द्वारा दाखिल किया गया मै0 एएलएलपीएल और सीडब्ल्यूसी को अग्रेषित किया गया था और संबद्ध उपयोक्ताओं को उनकी टिप्पणियों के लिए अग्रेषित किया गया था। मै0 एएलएलपीएल और सीडब्ल्यूसी तथा उपयोक्ताओं से प्राप्त टिप्पणियां केओपीटी को प्रतिपुष्टि सूचना के रूप में अग्रेषित की गई थीं।

4. इस मामले में परामर्श संबंधी कार्यवाहियां इस प्राधिकरण के कार्यालय के अभिलेखों में उपलब्ध हैं। प्राप्त हुई टिप्पणियों का सार प्रासंगिक पक्षों को अलग–से भेजा जाएगा। ये ब्योरे हमारी वेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

5. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में, निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है:–

(i). इस प्राधिकरण ने केओपीटी के मौजूदा दरमान को अनुमोदित करते हुए 29 दिसम्बर 2006 को एक आदेश पारित किया था। केओपीटी का मौजूदा दरमान विभिन्न उपयोक्ता समूह विनिर्दिष्ट करता है नामतः कार्गो का स्वामी अथवा उसका क्लियरिंग और परेषण एजेंट, कंटेनर एजेंट और मेन लाइन ऑपरेटर जो कंटेनरों के प्रहस्तन के संबंध में केओपीटी द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए पत्तन प्रभार अदा करने के लिए प्राधिकृत हैं। केओपीटी के दरमान का खंड 3 (v) जो इस पहलू को शासित करता है, साथ ही साथ, उपयोक्ता समूहों को उन कंटेनरों के संबंध में पत्तन प्रभारों के भुगतान के लिए कंटेनर एजेंटों और मेन लाइन ऑपरेटरों तक सीमित करता है जो अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) और सीमाशुल्क अधिसूचित कंटेनर फ्रेट स्टेशनों (सीएफएस) अथवा आईसीडी तथा सीएफएस में विनिहित कंटेनरों से आते हैं। केओपीटी का प्रस्ताव पत्तन प्रभारों के भुगतान के लिए सीएफएस और आईसीडी प्रचालकों को कवर करने के लिए इस प्रावधान का दायरा बढ़ाने के लिए है।

(ii). उपयोक्ताओं ने केओपीटी द्वारा प्रस्तावित संशोधन का एकमत से समर्थन किया है। ऐसी स्थिति में, इस मामले में संयुक्त सुनवाई निर्धारित किए जाने की जरूरत प्रतीत नहीं होती है।

(iii). विचार करते हुए कि केओपीटी का प्रस्ताव केवल पत्तन प्रभारों के लिए निर्धारित मौजूदा व्यवस्था के दायरे को बढ़ाने के लिए है और इसे मद्देनज़र रखते हुए है कि किसी उपयोक्ता समूह ने प्रस्तावित संशोधन पर आपत्ति नहीं उठाई है, यह प्राधिकरण प्रस्तावित संशोधन अनुमोदित करने के लिए प्रवृत्त है।

(iv). यह स्वीकार करना होगा कि आयातक/निर्यातक को किसी एक अथवा अन्य रूप में पत्तन लागत वहन करनी होगी, मध्यस्थों के होने के बावजूद जो पत्तन को पहली बार में भुगतान करते रहेंगे। पहली बार में पत्तन प्रभार अदा करने वाले ऐसे व्यक्तियों द्वारा दावाकृत की जाने वाली प्रतिपूर्ति पत्तन को उनके द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक प्रभारों से से ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसे मध्यस्थों द्वारा अपने ग्राहकों के लिए पत्तन को किए गए वास्तविक भुगतान का प्रकटन पारदर्शिता को प्रोत्साहित करेगा।

6. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से और समग्र विचार–विमर्श के आधार पर, केओपीटी के दरमान के खंड 3 के अधीन उप–खंड (v) का मौजूदा दूसरा अनुच्छेद निम्नलिखित अनुच्छेद से बदला गया है:–

"एलसीएल कंटेनर के मामले में, खाली कंटेनर और आईसीडी/सीमाशुल्क अधिसूचित सीएफएस से/को कंटेनर, ऑन–बोर्ड (उपस्कर के उपयोग के लिए भी, यदि कोई हो) सहित कंटेनर और कंटेनरबद्ध कार्गो से संबंधित प्रभार, तट प्रहस्तन और उसपर भंडारण प्रभार कंटेनर एजेंटों/मेन लाइन ऑपरेटरों (एमएलओ) पर प्रभार्य होंगे। तथापि, आईसीडी/सीमाशुल्क अधिसूचित सीएफएस से/को कंटेनर के मामले में, संबद्ध सीएफएस/आईसीडी प्रचालक भी पत्तन प्रभार अदा कर सकता है।"

रानी जाधव, अध्यक्षा

[विज्ञापनIII/4/143/10–असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 28th July, 2010

No. TAMP/12/2008-KOPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal from the Kolkata Port Trust to amend its Scale of Rates to accept payment of port charges from Container Freight Station (CFS)/Inland Container Depot (ICD) operators as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/12/2008-KOPT

Kolkata Port Trust — **Applicant**

ORDER

(Passed on this 9th day of July, 2010)

This case relates to a proposal received from Kolkata Port Trust (KOPT) for amendment of its Scale of Rates (SOR) to accept payment of port charges from Container Freight Station (CFS) / Inland Container Depot (ICD) operators.

2.1. Section 3(v) of the existing Scale of Rates of KOPT which specifies user groups for payment of port charges in relation to containers reads as follows:

> *"In case of FCL container, except the containers from / to ICDs / Customs Notified CFS, the charges related to container and the containerized cargo including the on-board (also for use of equipment if any), shore handling and storage charges thereon shall be levied on the owner of the cargo or his clearing and forwarding Agent / Handling Agent. However, port may recover such charges from Container Agents / Main Line Operators (MLO) if the Container Agents / MLO apply for destuffing of FCL Containers in absence of Importer / Exporter arranging delivery of the container.*
>
> *In case of LCL container, empty container and container from / to ICDs / Customs Notifed CFS, the charges related to container and the containerized cargo including the on-board (also for use of equipment if any), shore handling and storage charges thereon shall be levied on the Container Agents / MLOs.*
>
> *However, after destuffing or prior to stuffing, the cargo related charges, if any, shall be levied on the owner of the cargo or his Clearing & Forwarding Agent / Handling Agent."*

2.2. M/s. A.L. Logistics Private Limited (ALLPL) and Central Warehousing Corporation (CWC) had separately represented to this Authority stating that the Section 3(v) of the SOR does not provide any scope for CFS operators to pay charges on behalf of its customers. They had requested to consider the incorporation of the CFS's as lawful entities on whom the port charges can be levied for containers moving to / from CFS, by way of an appropriate amendment to the Section 3(v) of the KOPT Scale of Rates.

2.3. A copy each of the representation of ALLPL and CWC was forwarded to KOPT for its comments. After reminder, the KOPT vide its letter dated 13 February 2008 has made the following submissions:

(i). The issues raised by ALLPL and CWC have been examined and their request for allowing payment of port charges as CFS operators has been considered favourably.

(ii). The ALLPL and CWC have been allowed to open deposit account with KOPT to make payment of port charges as CFS operators.

(iii). KOPT has decided that similar facilities should be given to ICD operators for smooth commercial operation.

(iv). The Authority is requested to consider the matter and arrange for the amendment of para–2 of Section 3(v) of KOPT SOR as follows:

"In case of LCL container, empty container and container from / to ICDs / Customs notified CFS, the charges related to container and containerized cargo including the on-board (also for use of equipment, if any), shore handling and storage charges thereon shall be levied on the Container agents / Main Line Operators (MLOs). However, incase of container from / to ICDs / Customs notified CFS, the concerned CFS / ICD operator can also pay the port charges".

3. In accordance with the consultative procedure prescribed, the proposal filed by the KOPT was forwarded to M/s. ALLPL & CWC and circulated to the concerned users seeking their comments. The comments received from M/s. ALLPL & CWC and users were forwarded to KOPT as feedback information.

4. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website http://tariffauthority.gov.in

5. With reference to the totality of information collection during processing of the case, the following position emerges:

(i). This Authority had passed an Order on 29 December 2006 approving the existing Scale of Rates of KOPT. The existing Scale of Rates of KOPT specifies the different user groups namely owner of the cargo or his Clearing & Forwarding Agent, Container Agent and Main Line Operators who are authorised to pay port charges for the services rendered by the KOPT in relation to handling of containers. Section 3(v) of the Scale of Rates of KOPT which governs this aspect, inter alia, restricts the user groups to Container Agents and Main Line Operators for payment of port charges in relation to the containers which arrive from Inland Container Depot (ICD) and Customs Notified Container Freight Stations (CFS) or the containers which are destined to ICD and CFS. The proposal of the KOPT is to enlarge this provision to cover CFS and ICD operators for payment of port charges.

(ii). The users have unanimously endorsed the amendment proposed by the KOPT. That being so, there does not appear to be any need for setting up a joint hearing in this case. This Authority, therefore, decided to proceed to dispose of the proposal in reference filed by the KOPT.

(iii). Considering that the proposal of the KOPT is only to enlarge the scope of the existing arrangement prescribed for levy of port charges and keeping in view that no user group has objected to the proposed amendment, the Authority is inclined to approve the proposed amendment.

(iv). It is to be recognised that the ultimate importer / exporter has to bear the port cost in one form or other, irrespective of the intermediatories who may be paying the port in the first instance. The reimbursement to be claimed by such persons paying the port charges in the first instance cannot be more than the actual charges paid by them to the port. A disclosure of actual payment made to the port by such intermediatories to their clients will promote transparency.

5. In the result, and for the reasons given above and based on a collective application of mind, the existing second paragraph of sub-section (v) under Section 3 of the Scale of Rates of KOPT is replaced with the following paragraph:

"In case of LCL container, empty container and container from / to ICDs / Customs Notified CFS, the charges related to container and containerized cargo including the on-board (also for the use of equipment, if any) shore handling and storage charges thereon shall be levied on the Container agents / Main Line Operators (MLO)s. However, incase of container from / to ICDs / Customs Notified CFS, the concerned CFS / ICD operator can also pay the port charges.

RANI JADHAV, Chairperson

[ADVT III/4/143/10-Exty.]

3041GI/10-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.